

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) सतत भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, सजावटीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवले के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल छिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

### कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 659 दिनांक 31/7/2020

प्राथमिक परीक 31/7/2020 श्री मदनकिशोर सिंह मर्या सिंह ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 S/O श्री शत्रुमान सिंह

धारा 184 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 48698/- प्राप्त करिये रसीद संख्या 9062/9273, 9274 दिनांक 31/7/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 11/26मरा संख्या 108 गाम चौपामकी जाकीर

31/7/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी+1  
आवासीय

6377880171